

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्या: 128/2017

RCMS No.—2017/00183

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र लादुराम जाट ग्राम बसेडी, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जरिये सरपंच, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.04.2012 पंचायत प्रस्ताव संख्या 13 ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, जिसके क्रम में पट्टा संख्या 10 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया।

उपस्थित:—

1. श्री पैरोकार सरकार निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 11.01.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पं.स. झोटवाडा द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम बसेडी, ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा तहसील व जिला जयपुर के पक्ष में 298.66 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा पट्टा संख्या 10 दिनांक 06.09.2012 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.07.2014 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पैरोकार सरकार एवं वकील गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 06.09.2012 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित कर गैर निगरानीकार संख्या एक के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 10 अपने परिचित एवं नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पट्टा जारी किया गया है। पंचायती राज नियमों के अनुसार भूमि का विक्रय का अस्थाई निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। पंचायत राज नियमों के नियम 148 (1) एवं 148(2) के अनुसार पट्टा जारी करने



अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

से पूर्व जो आपत्ति नोटिस जारी किये गये उन आपत्ति नोटिसों को प्रस्तावित भूमि पर चस्पा नहीं किया गया तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं कराये गये जिससे ज्ञात होता है कि पट्टा जारी करने के लिये खानापूरि कर मिसल में शामिल किये गये है। पंचायत नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृहो का नियमितिकरण के 200/- राशि जमा कर किये गये। निगरानीधीन पट्टा आबादी भूमि की खाली पडत भूमि के जारी किये गये है, जिनकी बाजार दर कीमत वसूल की जानी चाहिए थी, वह पंचायत द्वारा नहीं किया जाकर पंचायत नियमों की अवहेलना की गई है तथा राजकोष को हानि पहुंचाई गई है। पंचायती राज नियम 168(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो की एक प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति को भेजी जानी चाहिए जो नहीं भेजी गई। प्रकरण में आबादी भूमि पर पट्टा जारी किये गये वे हल्का पटवारी के सीमाज्ञान/खसरा नं. एवं हल्का पटवारी व ग्राम सेवक की टिप्पणियों का पूर्ण रूप से अभाव पाया गया। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 आदेश दिनांक 06.09.2012 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को विधिक प्रक्रिया अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 10 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार वार्ड पंचगण द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी जाकर आपत्ति नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा देने से पूर्व निगरानीधीन भूमि का नजरी नक्शा तैयार किया गया। एक माह में आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार को पट्टा आबादी भूमि का जारी किया गया है जिस पर वह 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज है एवं निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का पुश्तैनी मकान है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा के निर्णय/आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 10 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 1 लक्ष्मण पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम बसेडी के पक्ष में 298.66 वर्गगज भूखण्ड का संकल्प संख्या 13 दिनांक 24.04.2012 की अनुपालना में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा पट्टा संख्या 10 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है एवं निगरानीधीन पट्टा जारी कर



अतिरिक्त कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर



पंचायत राज कोष को हानि पहुंचाई है। ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा है एवं गैर निगरानीकार का मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार नजरी नक्शा तैयार करवाकर मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंच गण की कमेटी बनायी गयी। पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीधीन भूमि का पट्टा जारी किया गया है। पंचगण की निरीक्षण रिपोर्ट में 50 वर्ष से गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा/ निर्माण माना गया है लेकिन इस संबंध में पत्रावली पर मौका रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई साक्ष्य/दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्योसिंहपुरा पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा जारी संकल्प सं. 13 दिनांक 24.04.2012 से निर्णय लेते हुये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 06.09.2012 द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 निरस्त किया जाता है। पत्रावली ग्राम पंचायत, श्योसिंहपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 1 को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 157 के तहत गैर निगरानीकार संख्या 1 निगरानीधीन भूमि पर काबिज है, तो गैर निगरानीकार संख्या 1 को पंचायती राज नियमों के तहत विधिसम्मत निर्णय पारित कर पुनः पट्टा देने की कार्यवाही की जावे अन्यथा भूमि निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के तहत विधिसम्मत निर्णय लेवे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलेक्टर-प्रथम,
जयपुर